लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3350

12 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जूट उद्योग में संकट

3350. श्री खगेन मुर्मुः

श्री राजा अमरेश्वर नाईकः

डॉ. सुकान्त मजूमदारः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जूट मिलों को बंद करने, नौकरियों की हानि, तीव्र प्रतिस्पर्धा और बांग्लादेश से सस्ते आयात सहित जूट उद्योग संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश-वार उत्पादित और आयातित/निर्यातित जूट/जूट उत्पादों की कुल मात्रा और मूल्य कितना रहा;

(ग) क्या सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध करने के लिए कुछ जूट मिल मालिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जूट श्रमिकों के कल्याण और पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) जूट के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) देश में जूट उत्पादकों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा उन्नयित की गयी मिलों का मिल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) : पटसन मिलों के बंद होने, नौकरियाँ खोने, अधिक प्रतिस्पर्धा और बांग्लादेश से सस्ते आयात सहित पटसन उद्योग में संकट की कोई सूचना नहीं मिली है। वास्तव में पिछले दो पर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में दस पटसन ट्विन मिलें पुन: खोली गई है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से 20,000 कामगार लाभान्वित हो रहे हैं। घरेलू पटसन उद्योग की सुरक्षा के लिए दिनांक 5 जनवरी 2017 से बांग्लादेश और नेपाल से पटसन सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित और आयातित/ निर्यातित पटसन/पटसन उत्पादों का ब्यौरा **अनुबंध-क** में दिया गया है।

(घ) से (च) : भारत सरकार पटसन कामगारों के कल्याण, पटसन की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार तथा पटसन उत्पादक राज्यों में पटसन उद्योग के सगग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। पटसन क्षेत्र के उत्थान के लिए क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-ख में दिया गया है।

(छ) : राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) पटसन मिलों एवं जेडीपी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसएपीएम) क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान एनजेबी ने पटसन मिलों तथा जेडीपी इकाइयों को 4971.19 लाख रूपए की पूंजीगत सब्सिडी जारी की है।

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19***
सहायता/सब्सिडी (लाख रु. में)	362.18	355.57	1739.21	1427.23	1087.00
मिल/इकाई की संख्या	18	22	39	52	27

इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाली और सहायता का लाभ उठाने वाली पटसन मिलों का ब्यौरा **अनुबंध-ग** में दिया गया है।

अनुबंध-क

पटसन सामानों का उत्पादन

मात्रा: हजार मी.टन

	हेसियन	सैकिंग	कालीन बैकिंग क्लोथ	यार्न	अन्य	कुल
2016-17	178.6	871.6	3.0	93.3	45.8	1142.3
2017-18	173.3	902.7	1.9	51.7	48.5	1178.1
2018-19	141.0	846.5	0.5	45.2	47.1	1080.3

स्रोत: भारतीय पटसन मिल एसोसिएशन

पटसन सामानों का कुल निर्यात

मात्रा: हजार मी.टन

मूल्य: रू./करोड़

वर्ष	हेसियन		सैकिंग		यार्न		अन्य		जेडीपी	कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा
2016 - 17	78.6	930.18	46.6	411.80	9.2	72.76	4.1	68.50	590.95	140.7	2074.20
2017 – 18	86.8	917.24	44.8	407.19	16.9	130.19	4.2	72.43	631.49	155.3	2158.56
2018 – 19	64.1	802.69	37.0	432.91	13.6	109.42	7.0	112.75	815.50	121.7	2273.27

स्रोत: डीजीसीआई एण्डएस, कोलकाता

पटसन सामानों का कुल आयात (बांग्लादेश से)

मात्रा: हजार मी.टन

मूल्य: रू./करोड़

वर्ष	हैसियन		सैकिंग		यार्न		अन्य		जेडीपी	कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
2016 - 17	5.9	57.56	43.8	307.43	79.1	502.43	9.7	54.17	10.02	140.2	931.60
2017 – 18	11.9	122.37	45.4	413.73	50.0	310.94	7.5	23.82	9.43	115.4	880.28
2018 – 19	18.1	184.40	54.1	432.66	49.2	292.13	5.8	30.39	12.34	108.3	951.92

स्रोत: डीजीसीआई एण्डएस, कोलकाता

शीर्ष 20 देशों को पटसन सामानों का निर्यात

मूल्य: रु./करोड़

	2016-17			2017-18			2018-19		
क्र. सं.	**देश**	**मूल्य**	**%**	**देश**	**मूल्य**	**%**	**देश**	**मूल्य**	**%**
1	अमेरिका	415.31	20	अमेरिका	454.07	21	अमेरिका	492.73	22
2	घाना	168.62	8	घाना	183.87	9	घाना	258.38	11
3	यूके	155.92	8	यूके	141.81	7	यूके	158.82	7
4	जर्मनी	99.81	5	कोट डीवायर-	107.53	5	नीदरलैंड	114.62	5
5	नीदरलैंड	98.37	5	जर्मनी	99.75	5	ऑस्ट्रेलिया	98.70	4
6	ऑस्ट्रेलिया	82.40	4	नेपाल	92.59	4	जर्मनी	97.19	4
7	सउदी अरब	71.74	3	नीदरलैंड	82.63	4	कोट डीवायर-	81.15	4
8	कोट डीवायर-	68.05	3	सउदी अरब	78.49	4	स्पैन	76.63	3
9	सूडान	56.18	3	आस्ट्रेलिया	48.37	2	इंडोनेशिया	52.82	2
10	संअरब . अमीरात	51.10	2	संअरब अमीरात .	47.17	2	न्यूजीलैंड	52.69	2
11	कनाडा	42.95	2	तूरकी	42.14	2	सउदी अरब	52.13	2
12	इटली	42.43	2	इंडोनेशिया	39.57	2	फ्रोस	47.59	2
13	मिस्र गणराज्य	39.23	2	कनाडा	38.63	2	इटली	39.99	2
14	स्पैन	34.72	2	बेल्जियम	37.46	2	संअरब अमीरात .	39.67	2
15	न्यूजीलैंड	33.38	2	इटली	37.38	2	बेल्जियम	36.93	2
16	बेल्जियम	32.94	2	स्पैन	36.70	2	जापान	34.06	1
17	तंजानिया रेप	32.61	2	मिस्र गणराज्य	35.90	2	कनाडा	33.15	1
18	तुर्की	32.51	2	तंजानिया रेप	31.81	1	सूडान	32.70	1
19	जापान	28.51	1	न्यूजीलैंड	31.46	1	तंजानिया रेप	32.70	1
20	फ्रांस	27.45	1	फ्रांस	30.68	1	पेरू	19.82	1
	देशों का कुल 20	1614.23	79	देशों का कुल 20	1698.01	80	देशों का कुल 20	1852.47	79
	सभी पटसन सामानों का कुल	2074.20		सभी पटसन सामानों का कुल	2158.56		सभी पटसन सामानों का कुल	2273.27	

स्रोत: डीजीसीआई एण्डएस, कोलकाता

अनुबंध-ख

पटसन कामगारों के कल्याण, पटसन उद्योग के विकास, पटसन उत्पादकों की समस्याओं के समाधान तथा पटसन की उत्पादकता और निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय/योजनाएं :

(i) पटसन सामग्री में अनिवार्य पैकिंग :

पटसन पैकिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत सरकार वस्तुओं और उनकी सीमा निर्धारित करती है जिन्हें पटसन पैकिंग सामग्रियों में अनिवार्य रुप से पैक किया जाना अपेक्षित होता है। वर्तमान में पटसन थैलों में न्यूनतम 100% खाद्यान्न और न्यूनतम 20% चीनी अनिवार्य रुप से पैक की जानी चाहिए।

(ii) कच्ची पटसन में एमएसपी अभियान :

जब कभी कच्ची पटसन का बाजार मूल्य निर्धारित स्तर से नीचे चला जाता है तो भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन उत्पादकों के हितों के रक्षोपाय के लिए उनसे कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कच्ची पटसन की खरीद करता है।

(iii) कामगार कल्याण योजना :

(क) स्वच्छता अभियान - सुलभ शौचालय :

एनजेबी पटसन मिल कामगारों की स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्य की स्थितियों में सुधार के लिए पटसन मिलों को सहायता प्रदान करती है। सहायता की दर अधिकतम 60.00 लाख रु. (प्रति मिल/वर्ष) के अध्यधीन वास्तविक व्यय के 90% की दर से प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक 46 पटसन मिलों में 1365 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(ख) पटसन मिलों, जेडीपी- एमएसएमई के कामगारों की पुत्रियों के लिए छात्रवृत्ति योजना :

एनजेबी पटसन मिलों/जेडीपी- एमएसएमई इकाईयों के कामगारों की पुत्रियों को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनको छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पटसन मिलों/जेडीपी-एमएसएमई के कामगारों की 17,722 पुत्रियों को 1133.05 लाख रु की छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

(iv) जूट-आईकेयर (पटसनः उन्नत खेती और विकसित रैटिंग प्रक्रिया) :

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी), भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) और पटसन तथा संबद्ध फाइबर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएएफ), कृषि मंत्रालय के सहयोग से पटसन उत्पादक राज्यों के अंतर्गत 69 ब्लॉकों को शामिल करते हुए चरणबद्ध तरीके से पिछले चार वर्षों से 2018-19 तक के लिए पटसन-आईकेयर (पटसनः उन्नत खेती और विकसित रैटिंग प्रक्रिया) नामक पटसन किसान कल्याण योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली पटसन का उत्पाद करने तथा

उत्पादकता में वृद्धि करने और पटसन किसानों के लिए पटसन उत्पादन की लागत को कम करने के लिए किसानों को प्रमाणित बीज का उपयोग करके, पटसन की खेती तथा रैटिंग में वैज्ञानिक तकनीक को अपनाकर पटसन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(v) संयंत्र एवं मशीनरी के अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना :

पटसन की उत्पादकता में वृद्धि करके पटसन मिलों को आधुनिक बनाने तथा पुरानी मशीनों के स्थान पर प्रौद्यौगिकी की दृष्टि से उन्नत मशीनों को लगाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना उद्योग में नया निवेश करने का एक साधन रही है। आईएसएपीएम योजना पटसन मिलों के लिए मशीनरी की लागत के 20% की दर से और एमएसएमई-जेडीपी इकाईयों के लिए 30% की दर से प्रोत्साहन के साथ वर्ष 2013 में शुरु की गई है। पटसन मिलों और जेडीपी इकाईयों को वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के दौरान 4971.19 लाख रु. की पूंजी सब्सिडी जारी की गई है।

(vi) बाजार संवर्धन सहायता :

पटसन कारीगरों, उद्यमियों, बुनकरों, एनजीओ, महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को भारत और विदेश में अपने उत्पादों की बिक्री, विपणन और संवर्धन के लिए बाजार संवर्धन सहायता प्रदान की जाती है। एनजेबी द्वारा आयोजित किए गए मेले इस समूह के लोगों की आजीविका के साधन होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे- आईआईटीएफ, दिल्ली, सूरजकुंड मेला, टेक्स ट्रैंड, दिल्ली, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिल्पग्राम उदयपुर, गिफ्टेक्स मुंबई भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला, ग्रेटर नोएडा जहाँ राष्ट्रीय पटसन बोर्ड पटसन उत्पादों के संवर्धन के लिए पटसन इकाईयों को संगठित करता है तथा उन्हें भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है। बाजार संवर्धन सहायता के लाभार्थी जेडीपी इकाईयाँ, पटसन मिलें, डब्ल्यूएसएचजी आदि हैं। बाजार संवर्धन मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन और प्रतिभागिता देशभर में की जाती है। एनजेबी पटसन निर्यातकों को निर्यात संवर्धन सहायता प्रदान करता है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों, व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल, क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।

(vii) डिजाइन विकास योजना - एनआईडी में एनजेबी पटसन डिजाइन सेल :

पटसन शॉपिंग थैलों और लाइफस्टाइल एसेसरीज का विकास करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद के प्राकृतिक फाइबर अभिनव केंद्र (आईसीएनएफ) में एक पटसन डिजाइन सेल की स्थापना की गई है।

(viii) पटसन एकीकृत विकास योजना (जेआईडीएस) :

जेआईडी योजना का उद्देश्य विभिन्न क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए वास्तविक निकायों के सहयोग से देशभर में दूरस्थ स्थलों पर स्थानीय इकाईयों और एजेंसियों की स्थापना करना है। जेआईडी एजेंसियाँ प्राथमिक, विकसित और डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने और मुख्य रुप से प्रौद्यौगिकी के अनुप्रयोग तथा डिजाइन/उत्पाद विकास और

प्रसार के लिए जमीनी स्तर पर मौजूदा तथा भावी उद्यमियों को बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाता का कार्य करती है।

(ix) पटसन कच्ची सामग्री बैंक (जेआरएमबी) योजना-

इस योजना का निर्माण देश में विकेंद्रीकृत जेडीपी क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता और संपोषणीयता के अनुरुप मिल गेट मूल्य पर स्थानीय छोटे और लघु कारीगरों/उद्यमियों को पटसन की कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

(x) निर्यात बाजार विकास सहायता योजना :

निर्यात बाजार विकास सहायता (ईएमडीए) योजना लाइफस्टाइल और अन्य जेडीपी का निर्यात संवर्धन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत पटसन उत्पाद निर्माताओं और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय मेलों और विदेश में व्यवसाय प्रतिनिधि मंडल में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मेलों में सहभागिता के लिए पंजीकृत पटसन निर्यातकों को 17.21 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई है।

(xi) पटसन विविधीकृत उत्पादों के खुदरा आउटलेट और थोक आपूर्ति योजना-

खुदरा आउटलेट योजना चयनित और भारी खपत के लिए पटसन उद्यमियों द्वारा जेडीपी की आपूर्ति श्रंखला और थोक आपूर्ति में सहायता करती है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 80 लाभार्थियों/उद्यमियों को 347.90 लाख रु. प्रदान किए गए हैं।

अनुबंध- ग

आईएसएपीएम योजना के तहत प्रोत्साहन का राज्यवार/मिलवार संवितरण

क्र. सं.	जूट मिल का नाम	जारी की गई प्रोत्साहन राशि			कुल (रु.)
		2016-17 (रु.)	2017-18 (रु.)	2018-19 (रु.)	
पश्चिम बंगाल					
1	हुगली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड (हुकुमचंद जूट मिल)	6,139,800	2,029,000	153,000	8,321,800
2	डलहौजी जूट कंपनी	880,000	7,628,666	3,258,000	11,766,666
3	कंकनारह कंपनी लिमिटेड	826,952	6,477,827		7,304,779
4	एलायंस मिल्स (लेसी) लिमिटेड	6,687,000	944,000	4,567,000	12,198,000
5	आदित्य ट्रांसलिंक (प्रा.) लिमिटेड (सम्मनुगुर नॉर्थ)	1,444,000	236.000		1,680,000
6	जगतदल जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.	4,974,385		5,107,000	10,081,385
7	आरडीबी टैक्सटाइल्स लिमिटेड (विक्टोरिया जूट मिल)	1,165,200	1,665,000	6,249,400	9,079,600
8	विजई श्री लि। (फोर्ट विलियम जूट)	890,000	2,985,000	2,346,000	6,221,000
9	अशोका एक्सपोर्ट्स	270,520	386,400	697,435	1,354,355
10	लुडलो जूट एंड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड	2,030,920	2,576,602		4,607,522
1 1	शेवियट कं. लिमिटेड	13,761,506		211,500	13,973,006
12	द एंगस कंपनी लि।	697,000	225,600		922,600
13	नैहाटी जूट मिल्स	2,830,400	14,988,000		17,818,400

	कं. लि.				
14	कैलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2,771,000	2,928,600	2,359,700	8,059,300
15	बावरिया जूट मिल प्राइवेट लिमिटेड	16,704,400	2,104,800		18,809,200
16	जनकल्याण विनिमय प्रा. लिमिटेड (मेगना जूट मिल्स)	807,000	1,780,000		2,587,000
17	माहेश्वरी जूट स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड	4,898,000	1,609,600		6,507,600
18	दी एम्पायर जूट कंपनी लि.	832,000			832,000
19	रिलायन्स जूट मिल्स (इंट) लि..	4,447,400	5,284,993	4,986,000	14,718,393
20	ग्लोस्टर लिमिटेड	14,898,096	4,082,800		18,980,896
21	कमरहट्टी कंपनी लि.	4,379,000			4,379,000
22	प्रेमचंद जूट एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	8,184,171			8,184,171
23	कामाक्षी जूट इंडस्ट्रीज लि.	3,973,444			3,973,444
24	बिड़ला कॉर्पोरेशन		25,000,000		25,000,000
25	श्री दुर्गा फाइबर प्रोडक्ट्स		820,000	820,000	1,640,000
26	उमा स्पिनर्स प्रा. लिमिटेड		1020000		1020000
27	अगरपारा जूट मिल्स लि.		5,856,187		5,856,187
28	रिची बैग्स एंड फैशन प्रा. लिमिटेड		92,824		92,824
29	ट्रैंड व्यापार लिमिटेड		1,115,000	110,000	1,225,000
30	जी डी सीमेंट प्रा. लिमिटेड		360000		360000
31	ओएसडी ओवरसीज प्रा. लिमिटेड		146,700		146,700

32	सीएमटीपी एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड		400,500		400,500
33	कारीवाला इंडस्ट्रीज लि.		1,930,324		1,930,324
34	बरनागोर जूट फैक्टरी पीएलसी		4,408,200		4,408,200
35	गंगेज जूट प्रा. लिमिटेड		10,022,724		10,022,724
36	ईसीओ जूट प्रा. लिमिटेड			1,545,400	1,545,400
37	टेपकॉन इंट (आई) लि.			1,686,000	1,686,000
38	गोयल मर्चेंट्स प्रा. लिमिटेड			1,388,000	1,388,000
39	हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड			27,000	27,000
40	बज बज कंपनी लिमिटेड			9,887,200	9,887,200
41	एशिस बैग और फैशन प्राइवेट लिमिटेड			571,200	571,200
42	अर्थ बैग एक्सपोर्ट प्रा लिमिटेड			2,464,422	2,464,422
43	ऑकलैंड इंट लिमिटेड			1,666,800	1,666,800
44	महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.			352,000	352,000
45	पात्रा जूट मिल प्रा. लिमिटेड			410,000	410,000
	कुल: (क)	104,492,194	109,105,347	50,863,057	264,460,598
आंध्र प्रदेश					
1	आंध्र प्रदेश फाइबर्स लिमिटेड	178,000			178,000
2	श्री सीताराम लक्ष्मी जूट	1,328,258			1,328,258

	मिल्स (प्रा.) लि.				
3	राजम पॉली पैक्स लि.	360000			360000
	कुल: (ख)	1,866,258			1,866,258
असम					
1	प्रकाश जूट इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड			2,230,000	2,230,000
	कुल: (ग)			2,230,000	2,230,000
	कुल जोड़ : (क) + (ख) + (ग)				268,556,856

******